



संख्या- 3604 / जी0एस0(शिक्षा) /A4-142(2)/2015

प्रेषक,

रीना जोशी

अपर सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।

सेवा में,

कुलपति,

वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
सुद्धोवाला, देहरादून।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड : देहरादून : दिनांक : 21 जुलाई, 2025

महोदय,

कृपया विश्वविद्यालय के पत्रांक-1027, दिनांक 16 जून, 2023 तथा अस्थाई सम्बद्धता पोर्टल पर प्रस्ताव क्रमांक 240402041352 के माध्यम से राज्यपाल सचिवालय को प्रेषित निम्नलिखित प्रस्ताव का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उपरोक्त सन्दर्भ के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नियामक संस्था, निरीक्षण मण्डल, कुलपति व कुलसचिव, वी०मा०सि०भ० उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (यथा अद्यतन संशोधित) की धारा-24(2) के अधीन निम्नवत् संस्थान को उसके सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण हेतु मा० कुलाधिपति द्वारा निम्नवत् उपबन्धों के साथ पूर्वानुमोदन प्रदान किया गया है :-

संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम	सीट संख्या प्रति सत्र	शैक्षिक सत्र
अरिहन्त लॉ कॉलेज, ग्राम-बढ़ेड़ी, शान्तरशाह, पो०-दौलतपुर, हरिद्वार।	एल०एल०बी०	120	2022-23
	बी०ए०एल०एल०बी०	120	एवं
	एल०एल०एम० (01 वर्षीय)	30	2023-24

(1) प्राभूति राशि के मानक अपूर्ण है। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय को निदेशित किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा संस्थान से शैक्षिक सत्र 2025-26 से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्राभूति राशि के मापदण्ड आवश्यक रूप से पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करे।

(2) नियामक संस्था, राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी मानकों के पूर्ण होने की दशा में ही कार्यपरिषद के अनुमोदन से विहित शर्तों/उपबन्धों के अधीन अस्थाई सम्बद्धता के आदेश निर्गत करे व तत्सम्बन्धी कार्यवाही की सूचना मा० कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ उपलब्ध कराये। अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव नियामक संस्था, शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार किये जायें अन्यथा की स्थिति में अपूर्ण प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व

विश्वविद्यालय का होगा।

(3) यदि कोई सूचना या तथ्य भविष्य में गलत पाया जाता है, तो निर्गत अनुमति/सम्बद्धता को निरस्त कर संस्थान के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

भवदीया,
Digitally signed by
REENA JOSHI

Date: 19-07-2025

(रीना जोशी)

अपर सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।

संख्या- 3604 (1)/जी0एस0(शिक्षा)/ A4-142(2)/2015 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्राचार्य/निदेशक, संबंधित संस्थान।
- ✓ 3. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गैर फाईल हेतु।

Digitally signed by
Shri Laxman Ram Arya
Date: 21-07-2025

11:13:30 (लक्ष्मण राम आर्य)

अनु सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।